(14)

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फैक्स: 05962-232182 ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 2566 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक, 09-11 2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

विषयः– **जनपद अल्मोड़ा में चमड़ख़ान–कनौली–सैलापानी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.398 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भ – भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/144/2015/एफ0सी0/1520 दिनांक 08.10.2015, नोडल अधिकारी का पत्रांक 1151दिनांक 15.10.2015 एवं आपकी पत्र सं0 2258/36सी दिनांक 02.11.2015

महोदय,

सैद्वान्तिक स्वीकृति शर्त सं0 1 के अनुसार प्रभावित वृक्षों के 10 गुने वृक्षों अर्थात 380 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु रू0 1000.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल रू0 380000.00 (तीन लाख अस्सी हजार मात्र) जमा करना है।

शर्त सं0 2 के अनुसार एन0पी0वी0 धनराशि रू0 336310.00 (रू0 तीन लाख छत्तीस हजार तीन सौ दस मात्र) जमा करना है।

शर्त सं0 5 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की बचन बद्वता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

कम सं0 7 मक डिस्पोजल हेतु स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार रू0 105643.00 (रू0 एक लाख पांच हजार छः सौ तितालीस) मात्र नोडल अधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जमा की जाय।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,अल्मोड़ा

पत्रांक / तद्दिनांकित,

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि फिर को अवगत एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
AEI & Amin

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

office detail/General/land transpar/latter